अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 50
दिनांक 04/01/16

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /12/2015

क्रमांक/ /5210/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. कपिल सहाय, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय शाजापुर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में दायर याचिका कमांक 13319/2013 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2014 के पालन में डॉ. कपिल सहाय, रेडियोलॉजिस्ट को दिनांक 05.06.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2 JAN 2016 25-28

1 JAN 2016

पृ0 कमांक/14076/5210/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 31/12/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय इन्दौर म.प्र.।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शाजापुर म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला शाजापुर म.प्र.।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला शाजापुर म.प्र.।
10. डॉ. कपिल सहाय, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय शाजापुर म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31/12
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

VRS

137

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक31 /12/2015

क्रमांक1560/5555/15/17/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. विनोद कुमार गुप्ता, मेडिकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत डॉ. विनोद कुमार गुप्ता को दिनांक **15.04.2016** से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 1561/5555/15/17/मेडि--1 भोपाल, दिनांक 31 /12/2015

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर.।
4. आयुक्त,स्वास्थ्य सेवाये म.प्र.भोपाल की और भेज कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
5. संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐं सागर म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक टीकमगढ़ म.प्र.
7. जिला कोषालय अधिकारी टीकमगढ़ म.प्र.
8. डॉ. विनोद कुमार गुप्ता, मेडिकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ म.प्र.।
9. आदेश नस्ती।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

31/12/15

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
<u>मंत्रालय</u>

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 31 / 12 / 2015

क्रमांक 14062 / 5555 / 15 / 17 / मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सम्पूर्णानंद दुबे, मेडिकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय शहडोल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत डॉ. सम्पूर्णानंद दुबे को दिनांक **19.11.2015** से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक 14063 / 5555 / 15 / 17 / मेडि–1 भोपाल, दिनांक 31 / 12 / 2015

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. प्रमुख सचिव / सचिव म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार,मध्यप्रदेश ग्वालियर.।
4. आयुक्त,स्वास्थ्य सेवाये म.प्र.भोपाल की और भेज कर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
5. संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐं रीवा म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक शहडोल म.प्र.
7. जिला कोषालय अधिकारी शहडोल म.प्र.
8. डॉ. सम्पूर्णानंद दुबे, मेडिकल विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय शहडोल म.प्र.।
9. आदेश नस्ती।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

31/12/15

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /12/2015

क्रमांक/ /5038/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. प्रणव कुमार दवे, रेडियोलॉजिस्ट, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत डॉ. प्रणव कुमार दवे को दिनांक 07.10.2015 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 13616 /5038/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 9 /12/2015
प्रतिलिपि :–
1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल म.प्र.।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला भोपाल, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल म.प्र. ।
9. डॉ. प्रणव कुमार दवे, रेडियोलॉजिस्ट, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल (प्रतिनियुक्ति पर) म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9/12/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

VRS

AD(4)

27 NOV 2015

आवक क्रमांक 2289

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक   /11/2015

~~क्रमांक/~~   /4952/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. पी.एस. गौर, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सागर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर विचारोपरांत डॉ. पी.एस.गौर को दिनांक 12.09.2014 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 9120
दिनांक 27/11/15

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/10092/4952/2015/सत्रह/मेडि–1   भोपाल, दिनांक 24/11/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सागर म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सागर, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सागर म.प्र. ।
9. डॉ. पी.एस.गौर, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सागर म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24/11/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

27/11/15

VRS

133

17 NOV 2015
2241

मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: **आदेश** ::

भोपाल, दिनांक /11/2015

क्रमांक /10010/244/2015/सत्रह/मेडि–1: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अशोक कुमार जैन, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय, सिवनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार तथा माननीय उच्च जबलपुर में दायर रिट पिटीशन नं. 12017/14 में पारित निर्णय दिनांक 07.08.2014 एवं अवमानना प्रकरण 1992/2015 के पालन में डॉ. अशोक कुमार जैन, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय, सिवनी का दिनांक 09.10.2013 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/11/15
(डॉ. गनी अहमद खान)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

9016
अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र.
दिनांक 20/11/15

क्रमांक /10011/244/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल दिनांक 16/11/2015

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, मध्यप्रदेश।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेववाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कलेक्टर, जिला–सिवनी।
7. संभगीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सिवनी।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सिवनी।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सिवनी।
11. डॉ. अशोक कुमार जैन, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय, सिवनी।
12. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

16/11/15
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 8921
दिनांक 13/11/15

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल
10 NOV 2015
आवक क्रमांक 2217

मध्य प्रदेश **शासन**
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार **कल्याण विभाग**
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /11/2015

क्रमांक/ /4756/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. विजय कृष्ण कपूर, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसोला, मानपुर महू, जिला इन्दौर म.प्र. द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचारोपरांत डॉ. विजय कृष्ण कपूर, चिकित्सा अधिकारी को दिनांक **01.04.2015** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 9086 /4756/2015/सत्रह/मेडि–1 **भोपाल, दिनांक 9/11/2015**
प्रतिलिपि :–
1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इंदौर म.प्र. ।
7. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इंदौर, म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इंदौर म.प्र. ।
9. डॉ. विजय कृष्ण कपूर, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरसोला, मानपुर महू जिला इंदौर म.प्र.।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9/11/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

015DD/V7/ 13/11/15

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 8922
दिनांक 13/11/15

ADG

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /11/2015

क्रमांक / /4758/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुभाष सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका कमांक 8962/2014 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2014 के पालन में डॉ. सुभाष सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 01.09.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
10 NOV 2015
आवक क्रमांक 2218

पृ0 कमांक/9088/4758/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 9/11/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इंदौर म.प्र. ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इंदौर, म.प्र. ।
9. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इंदौर म.प्र. ।
10. डॉ. सुभाष सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी, इंदौर म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9/11/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

13/11/2015

135

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 8729
दिनांक 4/11/15

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /10/2015

क्रमांक / /4586/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. मनोज जैन, चिकित्सा अधिकारी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, जिला चिकित्सालय उज्जैन म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में दायर रिट याचिका क0 2442/2015 में पारित निर्णय 11.05.2015 के पालन में डॉ. मनोज जैन, चिकित्सा अधिकारी, को दिनांक 05.11.2014 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

17D G
NOV 2015
2188

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक /9029 /4586/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 02/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय इंदौर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला उज्जैन, म.प्र.।
09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र.।
10. डॉ. मनोज जैन, चिकित्सा अधिकारी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, जिला चिकित्सालय उज्जैन म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

04/XI/15

31/10/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 8722

दिनांक 6/11/15

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /10/2015

क्रमांक / /4587/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अरविन्द कुमार सर्राफ, रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय सतना म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका क0 6932/2014 में पारित निर्णय 23.04.2015 के पालन में डॉ. अरविन्द कुमार सर्राफ, रेडियोलॉजिस्ट, को दिनांक 15.08.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

AD/5211 2164

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/9023/4587/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 02/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सतना म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सतना, म.प्र.।
09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सतना म.प्र.।
10. डॉ. अरविन्द कुमार सर्राफ, रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय सतना म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 20/10/2015

क्रमांक/ 8046/4473/2015/सत्रह/मेडि—1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. ए.ए. कुरैशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीहोर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका क0 828/2015 में पारित निर्णय 12.05.2015 के पालन में डॉ. ए.ए. कुरैशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, को दिनांक **10.10.2013** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 8047/4473/2015/सत्रह/मेडि—1 भोपाल, दिनांक 20/10/2015

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सीहोर म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला सीहोर, म.प्र.।
09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला सीहोर म.प्र.।
10. डॉ. ए.ए. कुरैशी, सर्जिकल विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय सीहोर म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

20/10/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

VRS

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 8433
दिनांक 19/10/15

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /10/2015

क्रमांक / /4476/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. मांगी लाल राठौर, शल्य क्रिया विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बैतूल म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, में दायर रिट याचिका क0 4867/2015 में पारित निर्णय 08.04.2015 के पालन में डॉ. मांगी लाल राठौर, शल्य क्रिया विशेषज्ञ को दिनांक **31.12.2012** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

AD/IV
15 OCT 2015
आवक क्रमांक 8249

पृ0 कमांक/ 7065/4476/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 15/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पेर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बैतूल म.प्र. ।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बैतूल, म.प्र. ।
09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बैतूल म.प्र. ।
10. डॉ. मांगी लाल राठौर, शल्य क्रिया विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बैतूल म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14/10/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 8432
दिनांक 19/10/15

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /10/2015

क्रमांक/ /4477/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. किरण गंगवाल, चिकित्सा अधिकारी, पॉली क्लिनिक मल्हारगंज इंदौर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इंदौर में दायर रिट याचिका क्र0 8517/2014 (एस) में पारित निर्णय 21.04.2015 के पालन में डॉ. किरण गंगवाल, चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 01.02.2014 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

AD/IV
15 OCT 2015
आवक क्रमांक 2042

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 709/ /4477/2015/सत्रह/मेडि–1 भोपाल, दिनांक 15/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय इंदौर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इंदौर संभाग इंदौर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इंदौर म.प्र.।
8. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इंदौर, म.प्र.।
09. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इंदौर म.प्र.।
10. डॉ. किरण गंगवाल, चिकित्सा अधिकारी, पॉली क्लिनिक मल्हारगंज इंदौर म.प्र.।
11. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14/10/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

अप. संचा. (प्रशा.) जा.क्र. 8161
दिनांक 8/10/15

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /9/2015

क्रमांक / /4226/2015/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. आर.के. गॉधी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय भिण्ड द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पूर्ण विचारोपरान्त राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ0 आर.के. गॉधी को दिनांक **11.08.2015** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

AD/IV

05 OCT 2015
1896

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

03-10-15

पृ0 कमांक/5081 /4226/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 01/10/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेज कर अनुरोध है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर संभाग ग्वालियर
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला ग्वालियर, म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला ग्वालियर म.प्र. ।
8. डॉ. आर.के. गॉधी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र.
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

30/9/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

05/10/15

1732

मध्य प्रदेश शासन

नि.सहा./स्वा. आयुक्त/........ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 26/9/15

मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /9/2015

क्रमांक/ /3709/2015/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. मंजुलता जैन, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पचमढ़ी जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पूर्व विचारोपरान्त राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ0 मंजुलता जैन, को दिनांक 06.06.2015 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

AD(SM)

पृ0 क्रमांक/4046 /3709/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 21/9/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. ✓ आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेज कर अनुरोध है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला होशंगाबाद, म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला होशंगाबाद, म.प्र. ।
8. डॉ. मंजुलता जैन, मेडिकल ऑफिसर, सामु0स्वा0के0 पचमढ़ी जिला होशंगाबाद म.प्र.
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

18/9/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

28/9/15

842
28-9-15

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक / 09 / 2015

क्रमांक / / 3935 / 2015 / सत्रह / मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुरेश कुमार मजेजी, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, नीमच म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में दायर रिट याचिका क0 600 / 2015 में पारित निर्णय 28.01.2015 के पालन में डॉ. सुरेश कुमार मजेजी को दिनांक **23.12.2014** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक / 2087 / 3935 / 2015 / सत्रह / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 10 / 09 / 2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार / महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कलेक्टर, जिला नीमच, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन संभाग उज्जैन।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नीमच, म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला नीमच, म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नीमच, म.प्र.।
11. डॉ. सुरेश कुमार मजेजी, शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, नीमच म.प्र.।
12. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10/9/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 12/8/2015

क्रमांक/1857/3526/2015/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. सत्यप्रभा किशनानी, उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पूर्व विचारोपरान्त राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ0 डॉ0 सत्यप्रभा किशनानी, उप संचालक, को दिनांक 26.01.2015 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/1858/3526/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 12/8/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेज कर अनुरोध है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल, म.प्र.।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल, म.प्र. ।
8. डॉ. सत्यप्रभा किशनानी, उप संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल,म0प्र0।
9. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 6 / 08 / 2015

क्रमांक / 1795 / 3448 / 2015 / सत्रह / मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अमिता लुनावत, चिकित्सा अधिकारी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, जिला इन्दौर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर में दायर रिट याचिका क0 4786 / 2014 एवं अवमानना याचिका कमांक 283 / 2015 में पारित निर्णय 21.11.2014 के पालन में डॉ. अमिता लुनावत,चिकित्सा अधिकारी का दिनांक 01.10.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
6/8/15
(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक / 1796 / 3448 / 2015 / सत्रह / मेडि–1, भोपाल, दिनांक 6 / 08 / 2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी / राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार / महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय इन्दौर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कलेक्टर, जिला इन्दौर, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर, म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर, म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इन्दौर, म.प्र.।
11. डॉ. डॉ. अमिता लुनावत, चिकित्सा अधिकारी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, जिला इन्दौर म.प्र.।
12. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11/8/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /08/2015

क्रमांक/ /3445/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. स्वरूप किशोर जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेटमा, जिला इन्दौर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर में दायर रिट याचिका क0 741/2014 एवं अवमानना प्रकरण कमांक 337/2015 में पारित निर्णय 19.06.2015 के पालन में डॉ. स्वरूप किशोर जैन, का दिनांक 01.10.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
6/8/15
(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/1792/3445/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 6/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय इन्दौर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कलेक्टर, जिला इन्दौर, म.प्र. ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दोर, म.प्र. ।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर, म.प्र. ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इन्दौर, म.प्र. ।
11. डॉ.स्वरूप किशोर जैन, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेटमा, जिला इन्दौर म.प्र.।
12. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6/8/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक 6 /08/2015

क्रमांक/ 1797/5067/2013/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. जी.सी. दुबे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करेली, जिला नरसिंहपुर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट याचिका क0 14543/2005 में पारित निर्णय 14.05.2013 के पालन में डॉ. डॉ. जी.सी. दुबे का दिनांक **07.03.2003** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
6/8/15
(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 1798/5067/2013/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 6/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, म.प्र. ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, म.प्र. ।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला नरसिंहपुर, म.प्र. ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला नरसिंहपुर, म.प्र. ।
11. डॉ.जी.सी.दुबे, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करेली, जिला नरसिंहपुर म.प्र.।
12. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

6/8/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक /08/2015

क्रमांक/ /3446/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. के.एल. प्रजापति, मेडिकल विशेषज्ञ, सिविल हॉस्पिटल संयोगितागंज, जिला इन्दौर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर में दायर रिट याचिका क0 1410/2015 एवं अवमानना याचिका कमांक 227/2015 में पारित निर्णय 09.04.2015 के पालन में डॉ. के.एल. प्रजापति मेडिकल विशेषज्ञ का दिनांक **04.08.2013** से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 1715 /3446/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 6/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय इन्दौर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कलेक्टर, जिला इन्दौर, म.प्र. ।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग इन्दौर
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला इन्दौर, म.प्र. ।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला इन्दौर, म.प्र. ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला इन्दौर, म.प्र. ।
11. डॉ. के.एल.प्रजापति, मेडिकल विशेषज्ञ, सिविल हॉस्पिटल संयोगितागंज, जिला इन्दौर म.प्र.।
12. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6/8/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /6/2015

क्रमांक/ /1066/2015/सत्रह/मेडि–1 :: डॉ. सुनील कुमार साहनी, चिकित्सा अधिकारी, कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पूर्व विचारोपरान्त राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ0 सुनील कुमार साहनी, चिकित्सा अधिकारी, को दिनांक 01.08.2014 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. गनी अहमद खॉन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/1432/1066/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 29/6/2015
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेज कर अनुरोध है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. संचालक, कमला नेहरू चिकित्सालय, गैस राहत भोपाल।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग भोपाल।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल, म.प्र.।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल, म.प्र. ।
9. डॉ. सुनील कुमार साहनी, चिकित्सा अधिकारी, कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल।
10. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

29/6/15
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक /03/2015

क्रमांक/ /244/2015/सत्रह/मेडि–1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. अर्जुन सिंह धुर्वे, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, मण्डला म.प्र. द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार तथा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर रिट पिटीशन नं. 13583/2014 में पारित निर्णय दिनांक 30.9.2014 एवं अवमानना प्रकरण कमांक 1955/2014 के पालन में डॉ. अर्जुन सिंह धुर्वे, चिकित्सा अधिकारी का दिनांक 31.01.2013 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. नबी अहमद खाँन)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 कमांक/ 640 /244/2015/सत्रह/मेडि–1, भोपाल, दिनांक 17/03/2015
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. रजिस्ट्रार/महाधिवक्ता, मान0 उच्च न्यायालय जबलपुर, म0प्र0।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. कलेक्टर, जिला मण्डला, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, जबलपुर संभाग जबलपुर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मण्डला, म.प्र.।
9. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला मण्डला, म.प्र.।
10. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मण्डला, म.प्र.।
11. डॉ. अर्जुन सिंह धुर्वे, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, मण्डला म.प्र.।
12. स्टाक फाईल।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

13/3
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Public Health & Family Welfare

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क्र./01/विज्ञप्त/सेल–5/2015/ भोपाल, दिनांक /2/2015

–: आदेश :–

डॉ आशुतोष पंत, चि0अ0, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया जिला रीवा द्वारा दिनांक 03.10.2013 को स्वयं की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण स्वयं के पदस्थापना परिवर्तन करने अथवा शासकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया।

डॉ आशुतोष पंत, चि0अ0, की प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.08.1989 है एवं डॉ पंत को नियमानुसार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की पात्रता नहीं है।

विचारोपरांत, डॉ आशुतोष पंत, चि0अ0 का स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी आवेदन अमान्य किया जाता है तथा डॉ आशुतोष पंत, चि0अ0 की पदस्थापना परिवर्तित की जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीड़ा जिला रीवा में कार्यग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ आशुतोष पंत, चि0अ0 की दिनांक 03.10.2013 से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीड़ा में कार्यग्रहण करने की मध्य की अवधि को डाइजनॉन (अकार्य दिवस) मान्य किया जाता है।

स्वास्थ्य आयुक्त, द्वारा अनुमोदित

(डॉ0जे0पी0खरे)
उप संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

पृष्ठा. क्र./01/विज्ञप्त/ सेल–5/2015/194 भोपाल, दिनांक 11/2/2015

प्रतिलिपि : – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

01. विशेष सहायक,मा0मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल,म0प्र0।
02. विशेष सहायक,मा0राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल,मप्र0
03. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल।
04. मिशन संचालक(एन0एच0एम0),तृतीय तल, बैंक ऑफ इण्डिया भवन,जेल रोड, भोपाल।
05. सभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग म0प्र0।
06. जिलाध्यक्ष, जिला रीवा, मध्यप्रदेश ।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा, म0प्र0।
08. जिला कोषालय अधिकारी, जिला रीवा म0प्र0।
09. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय रीवा,म0प्र0।
10. संबंधित डॉ आशुतोष पंत, चि0अ0 द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा,म0प्र0।
11. प्रभारी (एम0आई0एस0), स्थानीय कार्यालय, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
12. आदेश नस्ती।

उप संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश